

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 42/25-26

आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																														
1	2	3																														
19.02.25	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक दिनेश्वर भगत के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI240604023872335202522813103296, दिनांक- 04.03.2025 मौजा- रुचाप, खाता सं०- 164, प्लॉट सं०- 832 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :- <table><tr><th>क्र०</th><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (ए० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>1</td><td>रुचाप/238</td><td>164</td><td>832</td><td>0.03¼</td><td>दिनेश्वर भगत, ना०मु०सं०- 175/2012-13 के अनुसार</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>833</td><td>0.08¾</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">कुल</td><td>0.12 ए०</td><td></td></tr></table> उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- रुचाप, थाना सं०- 238, खाता सं०- 164, प्लॉट सं०- 832, रकबा- 0.03 ¼ ए० एवं प्लॉट सं०- 833, रकबा- 0.08 ¾ ए० भूमि ना०मु०सं०- 175/2012-13 के द्वारा नामांतरित दिनेश्वर भगत के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।	क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	रुचाप/238	164	832	0.03¼	दिनेश्वर भगत, ना०मु०सं०- 175/2012-13 के अनुसार				833	0.08¾		कुल				0.12 ए०		
क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम																											
1	2	3	4	5	6																											
1	रुचाप/238	164	832	0.03¼	दिनेश्वर भगत, ना०मु०सं०- 175/2012-13 के अनुसार																											
			833	0.08¾																												
कुल				0.12 ए०																												
	लेखापित 19.02.25 अंचल अधिकारी चाण्डिल।	19.02.25 अंचल अधिकारी, चाण्डिल।																														